


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2221]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935

No. 2221]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

का.आ. 2893(अ).- जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली मुख्य योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त सूचना की तिथि से पैंतालीस दिनों के अंदर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के रूप में का.आ.सं. 1387 (ई) दिनांक 29.05.2013 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में उन्हें अनुमोदित भी किया गया था।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मुख्य योजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त मास्टर प्लान दिल्ली-2021 भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है :

अध्याय वार संशोधन निम्नानुसार हैं :

अध्याय/ क्र.सं0	पैरा/खंड/एमपीडी-2021 की तालिका		संशोधन			
	मौजूदा प्रावधान					
1	2		3			
ग. अध्याय 3.0 - दिल्ली शहरी क्षेत्र - 2021						
1	तालिका 3.3 में स्तर 3 सामुदायिक जनसंख्या - 1,00,000 शहरी विकास का श्रेणीबद्ध गठन	स्तर	सुविधाएं	वर्गमीटर क्षेत्रफल		
				सं0	प्रति ईकाई	कुल
		1	2	3	4	5
	सामुदायिक जनसंख्या 1,00,000	1.अस्पताल		2	2,000—15000	4000—30,000
		2. तृतीयक स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र	1	10,000-15,000 10,000-15,000	10,000-15,000	
<p>टिप्पणी : तीन ओर खुले हुए और एक ओर न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार रखने वाले प्लॉट को प्राथमिकता देने के साथ आवासीय क्षेत्र में, अस्पताल के प्लॉट का आकार 1.5 हेक्टेयर तक सीमित होगा, अस्पताल का कुल तल क्षेत्रफल उसके अंदर अनुमत कुल बिस्तरों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।</p>						

तालिका 3.3 में स्तर 4 जिला जनसंख्या 5,00,000, शहरी विकास का श्रेणीबद्ध गठन	स्तर	सुविधाएं	वर्गमीटर क्षेत्रफल								
			सं0	प्रति इकाई	कुल						
	1	2	3	4	5						
	जिला जनसंख्या 100,00,	1 अस्पताल	1	25,000 - 45,000	25,000 - 45,000						
	2 अस्पताल	2	15,000 - 25,000	30,000 - 50,000							
2	3.3.2 पैरा पुनर्विकास स्कीमों हेतु दिशा-निर्देश	(viii).....जैसे अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, डिस्पेंसरियाँ									
अध्याय 4.0 - आश्रय व्यवस्था											
3.	पैरा 4.41 उप उपयोग जोन/विदेशी मिशन (आर.एफ.) में उपयोग परिसरों की अनुमति	vii) स्वास्थ्य केन्द्र-अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, डिस्पेंसरी									
अध्याय 5.0 व्यापार एवं वाणिज्य											
4	पैरा 5.10. अनौपचारिक क्षेत्र स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों/ तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों और परिवहन केन्द्रों और									
5	तालिका 5.3 योजना मानदंड	<table border="1"> <tr> <td>क्र. सं0</td> <td>उपयोग जोन / उपयोग परिसर</td> <td>अनौपचारिक दुकानों / इकाइयों की संख्या</td> </tr> <tr> <td>iv)</td> <td>अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र</td> <td>प्रति 100 बिस्तरों पर 3 से 4 इकाइयों</td> </tr> </table>				क्र. सं0	उपयोग जोन / उपयोग परिसर	अनौपचारिक दुकानों / इकाइयों की संख्या	iv)	अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र	प्रति 100 बिस्तरों पर 3 से 4 इकाइयों
क्र. सं0	उपयोग जोन / उपयोग परिसर	अनौपचारिक दुकानों / इकाइयों की संख्या									
iv)	अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र	प्रति 100 बिस्तरों पर 3 से 4 इकाइयों									

6	तालिका 5.4 के नीचे टिप्पणी : विकास नियंत्रण-व्यावसायिक केन्द्र	(i)सभी होटलों, रेस्टोरेंट्स, ऑटो वर्कशॉप्स, अस्पतालों/ तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों आदि की व्यवस्था करनी होगी		
अध्याय 7.0 -उद्योग				
7	तालिका 7.2 : औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि वितरण के मानदंड	क्र. सं.	उपयोग परिसर	प्रतिशत
		4.	सुविधाएँ : सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक : दमकल स्टेशन/दमकल चौकी/पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी,अस्पताल/ तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र डिस्पेंसरी, आई.टी. आई/पोलीटेक्निक, धर्मशाला, रैन बसेरा, डे केयर सेंटर आदि	6-8
8	तालिका 7.3 के नीचे टिप्पणी	24 मी. मार्गाधिकार और इससे उपर सड़क के साथ लगे हुए औद्योगिक प्लांट मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंड के अंतर्गत अस्पताल (100 तक बिस्तर वाला) में परिवर्तन करने के लिए पात्र होंगे। शर्तों के अधीन (क) एक प्लांट में समायोजित बिस्तरों की संख्या 80 वर्ग मी. कुल तल क्षेत्र प्रति एक बिस्तर की दर से (ख) परिवर्तन प्रभार का भुगतान समय समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित दर से लिया जाएगा। अस्पताल में स्वीकार्य गतिविधियों (तालिका 13.20) ऐसे प्लांटों में अनुमत होंगी। तथापि गैर सदृश्य/नियमित औद्योगिक समूह के लिए यह अनुमत नहीं होंगी। उपर्युक्त प्रावधान उच्चतम न्यायालय के आदेशों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।		
9	अनुलग्नक III निषिद्ध /नेगेटिव उद्योगों की सूची	46. खतरनाक/कूड़ा कचरा संसाधन अर्थात् अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र /चिकित्सा/औद्योगिक कूड़ा		
अध्याय 12.0 - परिवहन				

10	तालिका 12.6 : ईंधन स्टेशनों के लिए मानदंड	क्र.सं	भूमि उपयोग / उपयोग परिसर	मानदंड
		7.	सुरक्षा बल परिसर / पुलिस / अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र / सरकार	कैपटिव उपयोग हेतु / आवश्यकतानुसार

अध्याय 13.0 - सामाजिक आधारिक संरचना

11	. अध्याय 13.1..	<p>... शहरी जन संख्या के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी :</p> <p>i. अस्पताल श्रेणी :</p> <p>क) अस्पताल (अस्पताल की श्रेणी बिस्तरों की संख्या से निर्धारित होगी, जो अधिकतम अनुमत एफ ए आर पर आधारित होंगी और प्रति बिस्तर क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर होगा </p> <p>ख) तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र </p> <p>ग) अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसमें प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, परिवार कल्याण केंद्र, पॉलीक्लिनिक, बाल चिकित्सा केंद्र, जरा चिकित्सा केन्द्र, नैदानिक केंद्र आदि शामिल हैं </p>
----	-----------------	---

12	तालिका 13.1 : स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए योजना मानक और मानदंड	क्र. सं०	श्रेणी	जनसंख्या/ ईकाई	प्लॉट क्षेत्र (लगभग)
		1.	अस्पताल	5.0 लाख	2.5 है से से 4.5 है तक
		2.		2.5 लाख	1.5 है से 2.5 है तक
		3.		1.00 लाख	0.2 है से 1.5 है तक*
		4	तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	1.00 लाख	0.2 हैक्टेयर से 1.5 हैक्टेयर

टिप्पणी :

* तीन ओर से खुले हुए और एक ओर न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार वाले प्लॉट को प्राथमिकता देने के साथ, आवासीय क्षेत्र में, अस्पताल प्लॉट

	<p>का आकार 1.5 हैक्टे. तक सीमित रहेगा अस्पताल का कुल तल क्षेत्रफल, उसके अन्दर अनुमत कुल बिस्तरों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा </p>																
<p>13 तालिका 13.2 : स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विकास नियंत्रण</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र. सं.</th> <th rowspan="2">श्रेणी</th> <th colspan="3">अधिकतम</th> <th rowspan="2">अन्य नियंत्रण</th> </tr> <tr> <th>तल कवरेज</th> <th>एफएआर</th> <th>ऊंचाई</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अस्प - ताल / तृतीय क स्था स्थाय रक्षा केन्द्र</td> <td>भवन उप नियमों के अनुसार परस्पर भवन से भवन के बीच की दूरी और अग्निशमन वाहन आवाजाही जरूरतों के अनुसार तल कवरेज का निर्धारण, अधिकतम 40% के अधीन हैं जिसमें बहु-स्तरीय पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त तल कवरेज शामिल नहीं है </td> <td>मार्गाधिकार की ओर के प्लॉटों पर एफ.ए.आर . निम्नानुसार अवस्थिति के आधार पर सभी संबंधित एजेंसियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने के अधीन होगा क. 24 मी से कम मार्गाधिकार ख. 24 मी से 30 मीटर तक मार्गाधिकार ग. 30 मी से अधिक मार्गाधिकार</td> <td>250 300 375</td> <td>एएआई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए, से अनुमति लेने पर ऊँचाई प्रतिबंध नहीं एन बी सी को, एन बी सी के प्रस्तावित संशोधन को जितना जल्दी हो सके, आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। एन बी सी में संशोधन होने तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डी.एफ.एस.) ए ए आई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए और अन्य सांविधिक प्रायधानों से अनुमति के अधीन अग्नि और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए ऊँचाई का कोई प्रतिबंध</td> <td> <p>1. अनुमत एफएआर के 25: तक का उपयोग अनिवार्य स्टाफ, मरीज के साथ आए व्यक्तियों के लिए डोरमैट्री/होस्टल, क्रेच आदि के लिए रिहायशी उपयोग के लिए किया जा सकता है </p> <p>2. पार्किंग मानक 2.0 ईसीएस/100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल की दर से।</p> <p>3. प्रांगण* उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10% तल कवरेज की अनुमति दी जा सकती है प्रांगण के लिए यदि अनुमेय अतिरिक्त तल कवरेज का उपयोग होता है तो उपयोग किए गए तल कवरेज के 25% को एफ.ए.आर. में गिना जाएगा </p> <p>4. बहु-स्तरीय पौडियम पार्किंग, भवन की चारदीवारी की सीमा तक अनुमेय होगी, जो संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिए एफएआर और</p> </td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	श्रेणी	अधिकतम			अन्य नियंत्रण	तल कवरेज	एफएआर	ऊंचाई	1.	अस्प - ताल / तृतीय क स्था स्थाय रक्षा केन्द्र	भवन उप नियमों के अनुसार परस्पर भवन से भवन के बीच की दूरी और अग्निशमन वाहन आवाजाही जरूरतों के अनुसार तल कवरेज का निर्धारण, अधिकतम 40% के अधीन हैं जिसमें बहु-स्तरीय पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त तल कवरेज शामिल नहीं है	मार्गाधिकार की ओर के प्लॉटों पर एफ.ए.आर . निम्नानुसार अवस्थिति के आधार पर सभी संबंधित एजेंसियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने के अधीन होगा क. 24 मी से कम मार्गाधिकार ख. 24 मी से 30 मीटर तक मार्गाधिकार ग. 30 मी से अधिक मार्गाधिकार	250 300 375	एएआई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए, से अनुमति लेने पर ऊँचाई प्रतिबंध नहीं एन बी सी को, एन बी सी के प्रस्तावित संशोधन को जितना जल्दी हो सके, आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। एन बी सी में संशोधन होने तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डी.एफ.एस.) ए ए आई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए और अन्य सांविधिक प्रायधानों से अनुमति के अधीन अग्नि और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए ऊँचाई का कोई प्रतिबंध	<p>1. अनुमत एफएआर के 25: तक का उपयोग अनिवार्य स्टाफ, मरीज के साथ आए व्यक्तियों के लिए डोरमैट्री/होस्टल, क्रेच आदि के लिए रिहायशी उपयोग के लिए किया जा सकता है </p> <p>2. पार्किंग मानक 2.0 ईसीएस/100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल की दर से।</p> <p>3. प्रांगण* उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10% तल कवरेज की अनुमति दी जा सकती है प्रांगण के लिए यदि अनुमेय अतिरिक्त तल कवरेज का उपयोग होता है तो उपयोग किए गए तल कवरेज के 25% को एफ.ए.आर. में गिना जाएगा </p> <p>4. बहु-स्तरीय पौडियम पार्किंग, भवन की चारदीवारी की सीमा तक अनुमेय होगी, जो संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिए एफएआर और</p>
क्र. सं.	श्रेणी			अधिकतम				अन्य नियंत्रण									
		तल कवरेज	एफएआर	ऊंचाई													
1.	अस्प - ताल / तृतीय क स्था स्थाय रक्षा केन्द्र	भवन उप नियमों के अनुसार परस्पर भवन से भवन के बीच की दूरी और अग्निशमन वाहन आवाजाही जरूरतों के अनुसार तल कवरेज का निर्धारण, अधिकतम 40% के अधीन हैं जिसमें बहु-स्तरीय पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त तल कवरेज शामिल नहीं है	मार्गाधिकार की ओर के प्लॉटों पर एफ.ए.आर . निम्नानुसार अवस्थिति के आधार पर सभी संबंधित एजेंसियों से अनापति प्रमाण पत्र लेने के अधीन होगा क. 24 मी से कम मार्गाधिकार ख. 24 मी से 30 मीटर तक मार्गाधिकार ग. 30 मी से अधिक मार्गाधिकार	250 300 375	एएआई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए, से अनुमति लेने पर ऊँचाई प्रतिबंध नहीं एन बी सी को, एन बी सी के प्रस्तावित संशोधन को जितना जल्दी हो सके, आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। एन बी सी में संशोधन होने तक दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डी.एफ.एस.) ए ए आई, डी एफ एस, डी एम ए, एन एम ए और अन्य सांविधिक प्रायधानों से अनुमति के अधीन अग्नि और जीवन सुरक्षा उपायों के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए ऊँचाई का कोई प्रतिबंध	<p>1. अनुमत एफएआर के 25: तक का उपयोग अनिवार्य स्टाफ, मरीज के साथ आए व्यक्तियों के लिए डोरमैट्री/होस्टल, क्रेच आदि के लिए रिहायशी उपयोग के लिए किया जा सकता है </p> <p>2. पार्किंग मानक 2.0 ईसीएस/100 वर्गमी. तल क्षेत्रफल की दर से।</p> <p>3. प्रांगण* उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10% तल कवरेज की अनुमति दी जा सकती है प्रांगण के लिए यदि अनुमेय अतिरिक्त तल कवरेज का उपयोग होता है तो उपयोग किए गए तल कवरेज के 25% को एफ.ए.आर. में गिना जाएगा </p> <p>4. बहु-स्तरीय पौडियम पार्किंग, भवन की चारदीवारी की सीमा तक अनुमेय होगी, जो संरचनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिए एफएआर और</p>											

			अधिक एफएआर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	नहीं लगाएगी।	<p>तल कवरेज से मुक्त होगी।</p> <p>5. सामान्य क्षेत्र, जैसे-प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत कक्ष और अग्नि-आकस्मिक द्वार के लिए अनुमति एफएआर से मुक्त होगी।</p> <p>6. 1.8 मी. उंचाई के सेवा तल एफएआर में शामिल नहीं होगा।</p>
<p>* प्रांगण के लिए प्राकृतिक रोशनी की स्थिति की झूट है और प्रांगण के उपर निर्माण की अनुमति दी जाए।</p> <p># राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अग्निशमन विभाग के परामर्श से अस्पताल भवन में 30 मी पी.की उंचाई नियंत्रण की पुनरीक्षा की जाए।</p> <p>नोट:</p> <p>1. सभी अस्पतालों/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र के लिए प्लॉट क्षेत्र प्रतिबिस्तर कुल फर्श क्षेत्रफल का 80 वर्गमीटर की दर से निकाला जाए।</p> <p>2. अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्यरक्षा केन्द्र व मैडिकल कॉलेज/नर्सिंग होम एवं पैरामैडिकल संस्थानों आदि के स्थलों पर फर्श क्षेत्र के अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को सामुदायिक स्थल/धार्मिक बोर्ड/क्रेच/कैमिस्ट दुकान/बैंक काउंटर आदि के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>अन्य नियंत्रण :</p> <p>क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित अति विशेष चिकित्सा सुविधाओं/अस्पतालों के मामलों में कुल क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर तक प्रति बिस्तर की दर से निकाला जाएगा।</p> <p>(ख) मौजूदा परिसरों/स्थलों के मामले में प्राधिकरण/भूस्वामी एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रभारों के भुगतान और अन्य अनापत्तियों की शर्त पर एफ.ए.आर. में बढ़ोतरी की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ग) पार्किंग के लिए उपयोग के बाद बेसमेंट य जरूरी सेवाओं जैसे भूमि एवं उपकरणों का वातानुकूल, जल भंडारण, व्वायलर, विद्युत सब स्टेशन, एच टी एवं एल टी पैनल कक्ष, ट्रांसफोर्मर कक्ष, नियंत्रण कक्ष, पम्प हाउस, जेनरेटर कक्ष य अन्य यांत्रिकी सेवाएं य विद्युत एवं अग्नि शमन उपकरणों की स्थापना य एवं अन्य सेवाएं जैसे किचन, लॉन्ड्री एवं रेडियोलोजी लैब तथा इमारत के अनुरक्षण/क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अन्य जरूरी सेवाओं को संबंधित एजेंसियों की पूर्व स्वीकृति से स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।</p> <p>(घ) बेसमेंट आदि से संबंधित अन्य नियंत्रण विकास कोर्ड अध्याय में दिए गए हैं।</p> <p>(ङ) एक स्वास्थ्य सुविधा के बिस्तरों की संख्या, अनुमत एफ.ए.आर., समाज की आवश्यकता</p>					

		<p>एवं माँग के अनुसार ही अनुमत होती है ।</p> <p>(च) जैव कचरा के उत्पन्न होने को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अनुमति अनिवार्य बनायी जाएगी । पर्यावरण से संबंधित प्रमुख नियमों के अनुसार पर्यावरण अनुमति अनिवार्य है ।</p> <p>(छ) सीवरेज के लिए जीरो डिस्चार्ज समर्थकों के लागत पर लागू किया जाएगा और शोधन के पश्चात जल परिसरों द्वारा अपने उद्यानकृषि फलशिशु कूलन्ट टावर धुलाई और अन्य साईटों में निपटान जैसे आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है । यह मामले स्वायत्त निकायों से संबंधित हैं और योजना की स्वीकृति के समय मौजूदा नियमों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जा सकती है ।</p> <p>(ज) अतिरिक्त विद्युत आवश्यकताओं को ग्रिड से विद्युत पूर्ति द्वारा और उस समय तक उचित कैप्टिव जनरेशन से पूरी जाएगी ।</p>								
14	<p>पैरा 1 पैरा 13.6.3 के नीचे, आपदा से पहले की तैयारी</p>	<p>ख)...</p> <p>निश्चित तीव्रता वाले भूकम्प का सामना करने की क्षमता लाने के लिए सार्वजनिक भवनों (जैसे अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों, शैक्षिक, सांस्थानिक, पॉवर स्टेशन, आधारीक संरचना, विरासत स्मारक, लाइफ लाइन ढांचे और ऐसे भवन जिनमें वृहद जन समुदाय एकत्रित होने की संभावना हो) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।</p>								
15	<p>तालिका 13.20 स्वास्थ्य सुविधाएं</p>									
		<table border="1" data-bbox="748 1052 1437 1745"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>परिसरों का उपयोग</th> <th>परिभाषाएं</th> <th>स्वीकार्य गतिविधियाँ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>अस्पताल</td> <td>एक ऐसा परिसर जो बहिरंग एवं अंतरंग रोगियों के उपचार के लिए सामान्य एवं विशेष प्रकार की मेडीकल सुविधाएं प्रदान कर रहा हो । इसे सार्वजनिक निजी या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाया जा सकता है।</td> <td>अस्पताल, कर्मचारी आवास, रोगी परिसर आवास, संस्थागत होस्टल, मेडीकल कॉलेज (केवल लगभग 2.5 हैक्टैयर से 4.5 हैक्टैयर आकार लगभग के प्लॉटों पर), पार्किंग फुटकर दुकान (कैंटीन, कन्फक्शनरी गोसरी एवं जनरल मर्चेण्डिस, किताबें एवं लेखन सामग्री, दवा विक्रेता, नाई, धोबी, सब्जी विक्रेता), बैंक विस्तार काउंटर</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गतिविधियाँ	1.	अस्पताल	एक ऐसा परिसर जो बहिरंग एवं अंतरंग रोगियों के उपचार के लिए सामान्य एवं विशेष प्रकार की मेडीकल सुविधाएं प्रदान कर रहा हो । इसे सार्वजनिक निजी या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाया जा सकता है।	अस्पताल, कर्मचारी आवास, रोगी परिसर आवास, संस्थागत होस्टल, मेडीकल कॉलेज (केवल लगभग 2.5 हैक्टैयर से 4.5 हैक्टैयर आकार लगभग के प्लॉटों पर), पार्किंग फुटकर दुकान (कैंटीन, कन्फक्शनरी गोसरी एवं जनरल मर्चेण्डिस, किताबें एवं लेखन सामग्री, दवा विक्रेता, नाई, धोबी, सब्जी विक्रेता), बैंक विस्तार काउंटर
क्र. सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गतिविधियाँ							
1.	अस्पताल	एक ऐसा परिसर जो बहिरंग एवं अंतरंग रोगियों के उपचार के लिए सामान्य एवं विशेष प्रकार की मेडीकल सुविधाएं प्रदान कर रहा हो । इसे सार्वजनिक निजी या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाया जा सकता है।	अस्पताल, कर्मचारी आवास, रोगी परिसर आवास, संस्थागत होस्टल, मेडीकल कॉलेज (केवल लगभग 2.5 हैक्टैयर से 4.5 हैक्टैयर आकार लगभग के प्लॉटों पर), पार्किंग फुटकर दुकान (कैंटीन, कन्फक्शनरी गोसरी एवं जनरल मर्चेण्डिस, किताबें एवं लेखन सामग्री, दवा विक्रेता, नाई, धोबी, सब्जी विक्रेता), बैंक विस्तार काउंटर							
		<table border="1" data-bbox="756 1829 1429 1944"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>परिसरों का उपयोग</th> <th>परिभाषाएं</th> <th>स्वीकार्य गतिविधियाँ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गतिविधियाँ				
क्र.सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गतिविधियाँ							

16		11.	तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र	<p>एक ऐसा परिसर जो रोगियों के उपचार के लिए, विशिष्ट प्रकार की आधुनिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं जैसे सुपर स्पेशियलिटी/मल्टी स्पेशियलिटी हेल्थ केयर, पुनर्वास केन्द्र आदि की सुविधाएं प्रदान कर रहा हो। इसे सार्वजनिक, निजी या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाया जा सकता है।</p>	<p>अस्पताल, कर्मचारी, आवास, रोगी परिचर आवास, संस्थागत होस्टल, स्वास्थ्य रक्षा प्रबंध केन्द्र, पार्किंग, फुटकर दुकान (कैंटीन, कन्फेक्शनरी, ग्राँसरी एवं जनरल मर्चेंटस, किताबें एवं लेखन सामग्री, दवा विक्रता, नाई, धोबी, सब्जी विक्रेता) बैंक विस्तार काउन्टर तथा ऐसे रोगियों के निदान/उपचार/पुनर्वास के लिए अन्य विशिष्ट सुविधा (सुविधाएं)।</p>								
17	तालिका 13.25 : सुरक्षा - अग्निशमन			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="756 1031 818 1199">क्र. सं.</th> <th data-bbox="818 1031 951 1199">परिसरों का उपयोग</th> <th data-bbox="951 1031 1133 1199">परिभाषाएं</th> <th data-bbox="1133 1031 1430 1199">स्वीकार्य गति- विधियां</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="756 1199 818 1808">5.</td> <td data-bbox="818 1199 951 1808">आपदा प्रबंधन केन्द्र</td> <td data-bbox="951 1199 1133 1808">आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, बेतार-संचार आदि की सुविधायुक्त परिसर</td> <td data-bbox="1133 1199 1430 1808">आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आदि।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गति- विधियां	5.	आपदा प्रबंधन केन्द्र	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, बेतार-संचार आदि की सुविधायुक्त परिसर	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आदि।	
क्र. सं.	परिसरों का उपयोग	परिभाषाएं	स्वीकार्य गति- विधियां										
5.	आपदा प्रबंधन केन्द्र	आपदा प्रबंधन बैकप की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा से निपटने की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, बेतार-संचार आदि की सुविधायुक्त परिसर	आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र, अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र, अम्यास और राहत शिविर के लिए खुला मैदान, संचार केन्द्र, छात्रवास, स्टाफ आवास, अग्निशमन, केन्द्र, पहरा एवं निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आदि।										

अध्याय 14.0 - ठोस कचरा							
18	पैरा 14.6 ठोस कचराअस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक्स के लिए जैव चिकित्सीय कचरा (संभाल एवं प्रबंधन)नियम, 1998 ..					
अध्याय 16.0 - भूमि उपयोग योजना							
19	पैरा 16.2 विशेष क्षेत्र विनियम	2. ...और अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्रों, चिकित्सालयों, कालिजों, स्कूलों, पुलिस स्टेशनों, फायर स्टेशनों, डाकघरों, स्थानीय सरकारी कार्यालयों, पार्किंग आदि जैसी सेवाओं....					
अध्याय 17.0 - विकास संहिता							
20	खण्ड 4.0: निर्दिष्ट उपयोग जोन	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं पीएसआई अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय केंद्र, कॉलेज, सामाजिक -सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिसर/ केंद्र, पुलिस / पुलिस मुख्यालय / पुलिस लाइन्स, अग्निशमन केन्द्र , आपदा प्रबंधन केंद्र, धार्मिक, दफन स्थल / शवदाह स्थल।					
21.	उप/खंड 8(2); व्यवहार जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति	क्र सं०	उपयोग जोन				
			आर डी	सी1	सी2	एम	पीएस
		पीएस और सामाजिक और अर्ध सामाजिक सुविधाएं					
		i	P	P	NP	P	P
	अस्पताल अस्पताल (0.2 है० से 1.5 है० तक)						
	ii	P	P	NP	P	P	
	तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र						
टिप्पणी							
(x) तीन ओर से खुले हुए और एक ओर न्यूनतम 18 मी मार्गाधिकार वाले प्लांट को प्राथमिकता देते हुए आवासीय क्षेत्र में अस्पताल प्लांट का आकार 1.5 है तक सीमित रहेगा। अस्पताल के कुल तल क्षेत्रफल उसके अन्दर अनुमत बिस्तरों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।							
(xi) एक स्वास्थ्य सुविधा के बिस्तरों की संख्या अनुमत एफ.ए.आर. समाज की							

		आवश्यकता एवं मांग के अनुसार अनुमत की जाए।			
तालिका 18.1 योजना समीक्षा और निगरानी					
22	तालिका 18.1; विकास के लिए मानीटरिंग फ्रेमवर्क	<table border="1"> <tr> <td>घटक</td> </tr> <tr> <td>iv. सामाजिक / आधारिक संरचना</td> </tr> <tr> <td>i. क. स्वास्थ्य अस्पताल (2.5 हैक्ट. से 4.5 हैक्ट.) अस्पताल (1.5 हैक्ट. से 2.5 हैक्ट.) अस्पताल (0.2 हैक्ट. से 1.5 हैक्ट.) तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (0.2 हैक्ट. से 1.5 हैक्ट.)*</td> </tr> </table> <p>नोट:</p> <p>* वर्ष 2021 तक विभिन्न योजना अवधि के लिए अपेक्षित पूर्ण संख्या में विभिन्न सुविधाओं की संख्या पता लगायी गई है किन्तु तृतीय स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र के मामले में, चूंकि यह नया परिसर है, इसका दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पता लगाये जाने का प्रस्ताव है।</p>	घटक	iv. सामाजिक / आधारिक संरचना	i. क. स्वास्थ्य अस्पताल (2.5 हैक्ट. से 4.5 हैक्ट.) अस्पताल (1.5 हैक्ट. से 2.5 हैक्ट.) अस्पताल (0.2 हैक्ट. से 1.5 हैक्ट.) तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (0.2 हैक्ट. से 1.5 हैक्ट.)*
घटक					
iv. सामाजिक / आधारिक संरचना					
i. क. स्वास्थ्य अस्पताल (2.5 हैक्ट. से 4.5 हैक्ट.) अस्पताल (1.5 हैक्ट. से 2.5 हैक्ट.) अस्पताल (0.2 हैक्ट. से 1.5 हैक्ट.) तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (0.2 हैक्ट. से 1.5 हैक्ट.)*					

[फा. सं. के-12011/9/2012-डीडी-।]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the 23rd September, 2013

S.O. 2893(E).— Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O.1387(E) dated 29th May, 2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty-five days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

CHAPTER-WISE MODIFICATIONS ARE AS UNDER:

Chapter/ S. No.	Para/Clause/ Table of MPD-2021	Modifications																									
1	2	3																									
CHAPTER 3.0-DELHI URBAN AREA-2021																											
1	Level 3 Community Population-1,00,000 in Table 3.3 Hierarchy of Urban Development	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Level</th> <th rowspan="2">Facilities</th> <th colspan="3">Area in sq.m.</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Per Unit</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Community Population-1,00,000</td> <td>1. <i>Hospital*</i></td> <td>2</td> <td>2,000-15,000</td> <td>4,000-30,000</td> </tr> <tr> <td>2. <i>Tertiary Health Care Centre</i></td> <td>1</td> <td>10,000-15,000</td> <td>10,000-15,000</td> </tr> </tbody> </table>	Level	Facilities	Area in sq.m.			No.	Per Unit	Total	1	2	3	4	5	Community Population-1,00,000	1. <i>Hospital*</i>	2	2,000-15,000	4,000-30,000	2. <i>Tertiary Health Care Centre</i>	1	10,000-15,000	10,000-15,000	<p><i>Note:</i> * <i>Size of hospital plot will be restricted upto 1.5 ha. in residential area, with preference to plot having three side open and having minimum 18m ROW on one side. Total floor area of the hospital shall be governed as per the total number of beds allowed in it.</i></p>		
Level	Facilities	Area in sq.m.																									
		No.	Per Unit	Total																							
1	2	3	4	5																							
Community Population-1,00,000	1. <i>Hospital*</i>	2	2,000-15,000	4,000-30,000																							
	2. <i>Tertiary Health Care Centre</i>	1	10,000-15,000	10,000-15,000																							
	Level 4 District Population-5,00,000 in Table 3.3 Hierarchy of Urban Development	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Level</th> <th rowspan="2">Facilities</th> <th colspan="3">Area in sq.m.</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Per Unit</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">District Population-1,00,000</td> <td>1. <i>Hospital</i></td> <td>1</td> <td>25,000-45,000</td> <td>25,000-45,000</td> </tr> <tr> <td>2. <i>Hospital</i></td> <td>2</td> <td>15,000-25,000</td> <td>30,000-50,000</td> </tr> </tbody> </table>	Level	Facilities	Area in sq.m.			No.	Per Unit	Total	1	2	3	4	5	District Population-1,00,000	1. <i>Hospital</i>	1	25,000-45,000	25,000-45,000	2. <i>Hospital</i>	2	15,000-25,000	30,000-50,000			
Level	Facilities	Area in sq.m.																									
		No.	Per Unit	Total																							
1	2	3	4	5																							
District Population-1,00,000	1. <i>Hospital</i>	1	25,000-45,000	25,000-45,000																							
	2. <i>Hospital</i>	2	15,000-25,000	30,000-50,000																							
2	Para 3.3.2 GUIDELINES FOR REDEVELOPMENT SCHEMES	viii) ... like <i>hospitals/tertiary health care centres</i> , dispensaries,																									
CHAPTER 4.0-SHELTER																											
3	Para 4.4.1 PERMISSION OF	vii) Health Centre - <i>Hospital/Tertiary health care centre</i> , Dispensary																									

	USE PREMISES IN THE SUB USE ZONE – FOREIGN MISSION (RF)							
CHAPTER 5.0-TRADE AND COMMERCE								
4	Para 5.10. INFORMAL SECTOR	... the boundaries of schools colleges, <i>hospitals/tertiary health care centres</i> and transport nodes and						
5	Table 5.3 Planning Norms	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Use Zones/Use premise</th> <th>No. of Informal shops/Units</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>iv)</td> <td><i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i></td> <td>3 to 4 units per 100 beds</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Use Zones/Use premise	No. of Informal shops/Units	iv)	<i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>	3 to 4 units per 100 beds
S. No.	Use Zones/Use premise	No. of Informal shops/Units						
iv)	<i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>	3 to 4 units per 100 beds						
6	Notes below Table 5.4: Development Controls - Commercial Centres	i) ... All hotels, restaurants, auto workshops, <i>hospitals/tertiary health care centres</i> , etc. will have to make arrangements						
CHAPTER 7.0-INDUSTRY								
7	Table 7.2: Norms for Land Distribution in Industrial Areas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Use premise</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>Facilities: <ul style="list-style-type: none"> Public and Semi-Public: Fire Station/Fire Post, Police Station/Police Post, <i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>/Dispensary, ITI/Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, etc. </td> <td>6-8</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Use premise	Percentage	4.	Facilities: <ul style="list-style-type: none"> Public and Semi-Public: Fire Station/Fire Post, Police Station/Police Post, <i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>/Dispensary, ITI/Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, etc. 	6-8
S. No.	Use premise	Percentage						
4.	Facilities: <ul style="list-style-type: none"> Public and Semi-Public: Fire Station/Fire Post, Police Station/Police Post, <i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>/Dispensary, ITI/Polytechnic, Dharamshala, Night Shelter, Day Care Centre, etc. 	6-8						
8	Notes given below Table 7.3,	vii) Industrial plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to Hospitals (up to 100 beds) within the existing development control norms, subject to the conditions (a) the number of beds to be accommodated on a plot shall be worked out @ 80 sqm of gross floor area per bed and (b) payment of conversion charges as prescribed by the Government from time to time. The activities permissible in Hospital (Table 13.20) shall be permitted in such plots. However, this shall not be permitted on non-conforming/ regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any manner.						
9	ANNEXURE III PROHIBITED/NEGATIVE LIST OF INDUSTRIES	46. Hazardous waste processing viz., <i>hospital/tertiary health care centre</i> /medical/industrial waste						
CHAPTER 12.0-TRANSPORTATION								
10	Table 12.6: Norms for Fuel Stations	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Land Use/Use premise</th> <th>Norms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.</td> <td>Security Forces Campus/Police/<i>Hospitals/Tertiary Health Care Centres</i>/Govt.</td> <td>For captive use/as per requirement.</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Land Use/Use premise	Norms	7.	Security Forces Campus/Police/ <i>Hospitals/Tertiary Health Care Centres</i> /Govt.	For captive use/as per requirement.
S. No.	Land Use/Use premise	Norms						
7.	Security Forces Campus/Police/ <i>Hospitals/Tertiary Health Care Centres</i> /Govt.	For captive use/as per requirement.						
CHAPTER 13.0-SOCIAL INFRASTRUCTURE								
11	Para 13.1	... There shall be following health facilities for the city population: <p>i. Hospitals category: <p>a) <i>Hospital (category of hospital shall be governed by number of beds, which shall be regulated with respect to maximum</i></p> </p>						

		<p><i>permissible FAR and area per bed is 80 sqm.)</i></p> <p>b) Tertiary Health Care Centre;</p> <p>c) Other health facilities, which include maternity home, nursing home, family welfare centre, polyclinic, pediatrics centre, geriatric centre, diagnostic centre, etc.</p> <p>....</p>																					
12	Table 13.1: Planning Norms and Standards for Health Facilities	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Category</th> <th>Population/Unit</th> <th>Plot Area (approx.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="3">Hospital</td> <td>5.0 lakh</td> <td>2.5 ha. to 4.5 ha.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.5 lakh</td> <td>1.5 ha. to 2.5 ha.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.00 lakh</td> <td>0.2 ha. to 1.5 ha.*</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tertiary Health Care Centre</td> <td>1.00 lakh</td> <td>0.2 ha. to 1.5 ha.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <p>* <i>Size of hospital plot will be restricted upto 1.5 ha. in residential area, with preference to plot having three side open and having minimum 18m ROW on one side. Total floor area of the hospital shall be governed as per the total number of beds allowed in it.</i></p>	S. No.	Category	Population/Unit	Plot Area (approx.)	1	Hospital	5.0 lakh	2.5 ha. to 4.5 ha.	2	2.5 lakh	1.5 ha. to 2.5 ha.	3	1.00 lakh	0.2 ha. to 1.5 ha.*	4	Tertiary Health Care Centre	1.00 lakh	0.2 ha. to 1.5 ha.			
S. No.	Category	Population/Unit	Plot Area (approx.)																				
1	Hospital	5.0 lakh	2.5 ha. to 4.5 ha.																				
2		2.5 lakh	1.5 ha. to 2.5 ha.																				
3		1.00 lakh	0.2 ha. to 1.5 ha.*																				
4	Tertiary Health Care Centre	1.00 lakh	0.2 ha. to 1.5 ha.																				
13	Table 13.2: Development Controls for Health Facilities	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">S. No.</th> <th rowspan="2">Category</th> <th colspan="3">Maximum</th> <th rowspan="2">Other Controls</th> </tr> <tr> <th>Ground Coverage</th> <th>FAR</th> <th>Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i></td> <td><i>Ground coverage to be decided by interse building to building distances as per Building Bye Laws and fire tender movement requirements, subject to a maximum 40% excluding 5% additional ground coverage for multi-level parking</i></td> <td> FAR on plot facing ROW should be subject to NOC from all concerned agencies depending on locations shall be as under: <table border="1"> <tr> <td>a. Row less than 24m</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>b. Row 24m up to 30m</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>c. Row 30m and above</td> <td>375</td> </tr> </table> For plots falling under influence Zones of MRTS/Major Transport Corridors such as Metro and BRT Corridors, 50% more FAR should be available. </td> <td> <i>No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA.</i> <i>NBC to process the proposed revision of NBC as soon as possible. Till the time the NBC is revised, Delhi Fire Services(DFS) may allow no restriction of height for health care facilities with commensurate fire and life safety measures, subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory provisions.</i> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <i>Upto 25% of the permitted FAR can be utilized for residential use of essential staff, dormitory/ hostel for attendants of the patients, Creche etc.</i> <i>Parking standard @ 2.0 ECS/100 sqm of floor area.</i> <i>Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium*. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted toward FAR</i> <i>Multi Level Podium parking shall be permissible to the extent of building envelope lines, free from FAR and ground coverage to facilitate ample parking in spaces, subject to structural safety.</i> <i>Common areas such as waiting halls, reception and fire stair cases shall be allowed free from FAR.</i> <i>Service floor of height 1.8m shall not be counted in FAR.</i> </td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Category	Maximum			Other Controls	Ground Coverage	FAR	Height	1.	<i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>	<i>Ground coverage to be decided by interse building to building distances as per Building Bye Laws and fire tender movement requirements, subject to a maximum 40% excluding 5% additional ground coverage for multi-level parking</i>	FAR on plot facing ROW should be subject to NOC from all concerned agencies depending on locations shall be as under: <table border="1"> <tr> <td>a. Row less than 24m</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>b. Row 24m up to 30m</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>c. Row 30m and above</td> <td>375</td> </tr> </table> For plots falling under influence Zones of MRTS/Major Transport Corridors such as Metro and BRT Corridors, 50% more FAR should be available.	a. Row less than 24m	250	b. Row 24m up to 30m	300	c. Row 30m and above	375	<i>No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA.</i> <i>NBC to process the proposed revision of NBC as soon as possible. Till the time the NBC is revised, Delhi Fire Services(DFS) may allow no restriction of height for health care facilities with commensurate fire and life safety measures, subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory provisions.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Upto 25% of the permitted FAR can be utilized for residential use of essential staff, dormitory/ hostel for attendants of the patients, Creche etc.</i> <i>Parking standard @ 2.0 ECS/100 sqm of floor area.</i> <i>Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium*. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted toward FAR</i> <i>Multi Level Podium parking shall be permissible to the extent of building envelope lines, free from FAR and ground coverage to facilitate ample parking in spaces, subject to structural safety.</i> <i>Common areas such as waiting halls, reception and fire stair cases shall be allowed free from FAR.</i> <i>Service floor of height 1.8m shall not be counted in FAR.</i>
S. No.	Category	Maximum			Other Controls																		
		Ground Coverage	FAR	Height																			
1.	<i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i>	<i>Ground coverage to be decided by interse building to building distances as per Building Bye Laws and fire tender movement requirements, subject to a maximum 40% excluding 5% additional ground coverage for multi-level parking</i>	FAR on plot facing ROW should be subject to NOC from all concerned agencies depending on locations shall be as under: <table border="1"> <tr> <td>a. Row less than 24m</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>b. Row 24m up to 30m</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>c. Row 30m and above</td> <td>375</td> </tr> </table> For plots falling under influence Zones of MRTS/Major Transport Corridors such as Metro and BRT Corridors, 50% more FAR should be available.	a. Row less than 24m	250	b. Row 24m up to 30m	300	c. Row 30m and above	375	<i>No height restriction subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA.</i> <i>NBC to process the proposed revision of NBC as soon as possible. Till the time the NBC is revised, Delhi Fire Services(DFS) may allow no restriction of height for health care facilities with commensurate fire and life safety measures, subject to clearance from AAI, DFS, DMA, NMA and other statutory provisions.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Upto 25% of the permitted FAR can be utilized for residential use of essential staff, dormitory/ hostel for attendants of the patients, Creche etc.</i> <i>Parking standard @ 2.0 ECS/100 sqm of floor area.</i> <i>Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium*. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted toward FAR</i> <i>Multi Level Podium parking shall be permissible to the extent of building envelope lines, free from FAR and ground coverage to facilitate ample parking in spaces, subject to structural safety.</i> <i>Common areas such as waiting halls, reception and fire stair cases shall be allowed free from FAR.</i> <i>Service floor of height 1.8m shall not be counted in FAR.</i> 												
a. Row less than 24m	250																						
b. Row 24m up to 30m	300																						
c. Row 30m and above	375																						

		<p>* <i>Natural sky light condition is exempted for Atrium and construction over the Atrium may be allowed</i></p> <p># <i>Height restriction of 30 mts. in Hospital Buildings should be reviewed in consultation with Fire Deptt. of GNCTD</i></p> <p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plot area for all <i>Hospital/Tertiary Health Care Centre</i> would be worked out @ 80 sqm of gross floor area per bed. Max. upto 300 sqm of floor area shall be allowed to be used for community space/religious shrine/crèche/ chemist shop/bank counter on Hospital/Tertiary Health Care Centre sites and also Medical College/Nursing and Paramedic Institutes sites. <p>Other Controls:</p> <ol style="list-style-type: none"> In case of super specialty medical facilities/hospitals duly certified as such by the competent authority, the gross area shall be worked out @ 80 sqm per bed. In case of existing premises/sites, the enhanced FAR shall be permitted, subject to payment of charges as may be prescribed by the Authority/land owning agency and other clearances. <i>Basement after utilization for Parking; Services Requirements such as air conditioning plant and equipment, water storage, boiler, electric sub-station, HT & LT panel rooms, transformer compartment, control room, pump house, generator room; staff locker room, staff changing room, staff dining facilities without kitchen facility, Central sterile supply deptt., back end office; Other Mechanical Services; Installation of Electrical and fire fighting equipments; and Other Services like kitchen, laundry and radiology lab and other essential services required for the maintenance/functioning of the building may be used for healthcare facilities with prior approval of the concerned agencies.</i> Other controls related to basements etc. are given in the Development Code chapter. <i>The bed count of a Health Facility may be allowed as per permissible FAR, needs of the community and demand studies.</i> <i>Environment clearances shall be made mandatory considering that bio wastes are generated. Environmental clearances are mandatory as per the prevailing regulations related to the environment.</i> <i>Zero discharge for sewerage shall be enforced at the cost of the promoters and post treatment water can be used by premises for its needs of horticulture, flushing, coolant tower, washing or disposal to other construction sites. These issues concerned the local bodies and can be dealt accordingly as per existing regulations at the time of sanctioning the plan.</i> <i>The additional power requirements shall be met by power supply from grid and till such time by means of suitable captive generation.</i> 								
14	Para 1. Pre-Disaster Preparedness below Para 13.6.3	<p>b) ...</p> <ul style="list-style-type: none"> Priority should be given to public buildings (such as hospitals/ <i>tertiary health care centres</i>, educational, institutional, power stations, infrastructure, heritage monuments, lifeline structures and those which are likely to attract large congregation) for their ability to withstand earthquake of the defined intensity. 								
15	Table 13.20: Health Facilities	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Use Premises</th> <th>Definitions</th> <th>Activities Permitted</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hospital</td> <td>A premise providing medical facilities of general or specialised</td> <td>Hospital, Staff accommodation, patient attendant accommodation,</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Use Premises	Definitions	Activities Permitted	1	Hospital	A premise providing medical facilities of general or specialised	Hospital, Staff accommodation, patient attendant accommodation,
S. No.	Use Premises	Definitions	Activities Permitted							
1	Hospital	A premise providing medical facilities of general or specialised	Hospital, Staff accommodation, patient attendant accommodation,							

	IN USE ZONES		i Hospital (0.2 ha. to 1.5 ha.)	P	P	NP	P	P																																										
			ii Tertiary Health Care Centre	P	P	NP	P	P																																										
			Notes: (x) Size of hospital plot will be restricted upto 1.5 ha. in residential area, with preference to plot having three side open and having minimum 18m ROW on one side. Total floor area of the hospital shall be governed as per the total number of beds allowed in it. (xi) The bed count of a Health Facility may be allowed as per permissible FAR, needs of the community and demand studies.																																															
CHAPTER 18.0-PLAN REVIEW AND MONITORING																																																		
22	Table Monitoring Framework Development	18.1 for	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Components</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IV. SOCIAL INFRASTRUCTURE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">a. Health</td> </tr> <tr> <td colspan="6">i) Hospital (2.5 ha. to 4.5 ha.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ii) Hospital (1.5 ha. to 2.5 ha.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">iii) Hospital (0.2 ha. to 1.5 ha.)</td> </tr> <tr> <td colspan="6">iv) Tertiary Health Care Centre (0.2 ha. to 1.5 ha.)*</td> </tr> </table> <p>Note: * The number of the various facilities in absolute numbers required for various plan period upto the year 2021 have been worked out but in case of Tertiary health care centre since this is a new premise proposed to be worked out by the Health Deptt. of Delhi Govt.</p>						Components						IV. SOCIAL INFRASTRUCTURE						a. Health						i) Hospital (2.5 ha. to 4.5 ha.)						ii) Hospital (1.5 ha. to 2.5 ha.)						iii) Hospital (0.2 ha. to 1.5 ha.)						iv) Tertiary Health Care Centre (0.2 ha. to 1.5 ha.)*					
Components																																																		
IV. SOCIAL INFRASTRUCTURE																																																		
a. Health																																																		
i) Hospital (2.5 ha. to 4.5 ha.)																																																		
ii) Hospital (1.5 ha. to 2.5 ha.)																																																		
iii) Hospital (0.2 ha. to 1.5 ha.)																																																		
iv) Tertiary Health Care Centre (0.2 ha. to 1.5 ha.)*																																																		

[No. K-12011/9/2012-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.